

\* स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, दरभंगा

पटना, दिनांक-28-01-18

विषय:- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-01 एवं फेज-02 के अन्तर्गत 20391 घरों में House Connection हेतु ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश-सह-आवंटनादेश संख्या- 475, दिनांक- 18.02.2006 द्वारा दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति योजना फेज- 01 की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न राज्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा योजना की सम्पूर्ण राशि ₹873.585 लाख आवंटित की जा चुकी है। विभागीय राज्यादेश-सह-आवंटनादेश संख्या- 2518, दिनांक- 11.07.2006 द्वारा 12वें वित्त आयोग (योजना) के अन्तर्गत दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 02 की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न राज्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा योजना की सम्पूर्ण राशि ₹2284.09 लाख आवंटित की जा चुकी है। उक्त दोनों योजनाओं की कार्यकारी एजेंसी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है।

2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक- 145, दिनांक- 27.03.2017 के द्वारा दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 01 एवं फेज- 02 योजनान्तर्गत 20391 घरों में House Connection हेतु क्रमशः ₹133.71644 लाख एवं ₹301.42750 लाख अर्थात् कुल ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन में 20391 घरों में House Connection हेतु प्राक्कलन दो भाग में तैयार किया गया है। प्राक्कलन के भाग- A में House Connection हेतु ₹1514.00 (पन्द्रह सौ चौदह रु०) मात्र प्रति परिवार एवं रोड कटिंग एवं फिटिंग के लिए ₹620.00 प्रति परिवार की दर अर्थात् कुल ₹2134.00 मात्र प्रति परिवार की दर पर 20391 परिवारों के लिए ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, PHE Zone, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदान किया गया है।

3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के उक्त के अनुरोध के आलोक में दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 01 एवं फेज- 02 योजनान्तर्गत House Connection हेतु क्रमशः ₹133.71644 लाख एवं ₹301.42750 लाख अर्थात् कुल ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल स्तंभ- 5 के अनुरूप ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०- 167, दिनांक- 28/01/18 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, दरभंगा	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 01 योजनान्तर्गत 6266 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	133.71644	66.85822	66.85822
2		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 02 योजनान्तर्गत 14125 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	301.42750	150.71375	150.71375
<b>कुल योग</b>			<b>435.14394</b>	<b>217.57197</b>	<b>217.57197</b>

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित राशि ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी तत्पश्चात चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

5. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त

विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. उक्त आवंटित राशि ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष 01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष -191- नगर निगम को सहायता - उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215011910101** विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

9. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

**11. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-**

(i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।



13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका- 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

15. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

16. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*05/08-3.18*

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-07-01/2007(खंड-1) 168 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-28.07.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*05/08-3.18*

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद . *LNK*

\* स्वीड पोस्ट/निबंधित  
डाक एवं ई-मेल

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-28/03/18

विषय:- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-01 एवं फेज-02 के अन्तर्गत 20391 घरों में House Connection हेतु ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश-सह-आवंटनादेश संख्या- 475, दिनांक- 18.02.2006 द्वारा दरभंगा शहरी पेयजलापूर्ति योजना फेज-01 की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न राज्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा योजना की सम्पूर्ण राशि ₹873.585 लाख आवंटित की जा चुकी है। विभागीय राज्यादेश-सह-आवंटनादेश संख्या- 2518, दिनांक- 11.07.2006 द्वारा 12वें वित्त आयोग (योजना) के अन्तर्गत दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-02 की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न राज्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा योजना की सम्पूर्ण राशि ₹2284.09 लाख आवंटित की जा चुकी है। उक्त दोनों योजनाओं की कार्यकारी एजेंसी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है।

2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक- 145, दिनांक- 27.03.2017 के द्वारा दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-01 एवं फेज-02 योजनान्तर्गत 20391 घरों में House Connection हेतु क्रमशः ₹133.71644 लाख एवं ₹301.42750 लाख अर्थात् कुल ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन में 20391 घरों में House Connection हेतु प्राक्कलन दो भाग में तैयार किया गया है। प्राक्कलन के भाग- A में House Connection हेतु ₹1514.00 (पन्द्रह सौ चौदह रु०) मात्र प्रति परिवार एवं रोड कटिंग एवं फिटिंग के लिए ₹620.00 प्रति परिवार की दर अर्थात् कुल ₹2134.00 मात्र प्रति परिवार की दर पर 20391 परिवारों के लिए ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र का प्राक्कलन तैयार कर

७

उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, PHE Zone, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदान किया गया है।

3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के उक्त के अनुरोध के आलोक में दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 01 एवं फेज- 02 योजनान्तर्गत House Connection हेतु क्रमशः ₹133.71644 लाख एवं ₹301.42750 लाख अर्थात् कुल ₹435.14394 लाख (चार करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल स्तंभ- 5 के अनुरूप ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, दरभंगा	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 01 योजनान्तर्गत 6266 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	133.71644	66.85822	66.85822
2		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज- 02 योजनान्तर्गत 14125 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	301.42750	150.71375	150.71375
<b>कुल योग</b>			<b>435.14394</b>	<b>217.57197</b>	<b>217.57197</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र।

**इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।**

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी तत्पश्चात् चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृत राशि ₹217.57197 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार एक सौ संतानवे रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष 01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष -191- नगर निगम को सहायता - उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215011910101 विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।
9. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।
11. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-**
  - (i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।
  - (ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।
  - (iii) **योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**
  - (iv) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका- 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

15. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

16. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०-07-01/2007(खंड-1) के पृष्ठ सं०- .....18...../टि० पर दिनांक- 28.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम अधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....18...../टि० पर दिनांक- 28.03.2018 को प्राप्त है।

17. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-07-01/2007(खंड-1) 167 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-28-3-18

**प्रतिलिपि:-** प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

31/3/18